उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या- 20 /2021/ 66प्र0स0 /92-2-2021-55एम/2019

लखनऊ:: दिनांक 10 मार्च, 2021

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत सी0जी0एफ0 की धनराशि से जनपद चित्रकूट के क्लस्टर कसहाई की 06 ग्राम पंचायतों में 56 गलियां जिसमें ग्राम पंचायत लोढवारा की तीन गलिया- हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 145 मीटर), राम प्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 375 मीटर) एवं राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 120 मीटर) के निर्माण कार्य मानक के विपरीत व निम्न कोटि का कराये जाने के संबंध में कोई भी निरीक्षण नोट न जारी किये जाने आदि अनियमितता हेतु प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2043/92-2-2019-55एम (जांच)/2019, दिनांक 06-09-2019 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड-चित्रकूट के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/ मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1401/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-चित्रकूट/एस0टी0-307/2019-20 दिनांक 19-03-2020 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री दूबे पर कुल अधिरोपित 01 आरोप की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराया गया । जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित होने के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-1070/92-2-2020-55एम/2019, दिनांक 19-06-2020 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया । तत्क्रम में अपचारी अधिकारी श्री दूबे द्वारा पत्रांक- 1149/ ग्रा0अ0वि0/ एस0टी0/अभ्यावेदन/व्य0पत्रा0/पत्रा0सं0-41/2020-21 दिनांक 22-01-2021 द्वारा अभिकथन/ अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री विजय कुमार दुबे पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का विवरण निम्नवत है :-

<u>आरोप संख्या-01</u>

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- चित्रकूट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत सी0जी0एफ0 की धनराशि से जनपद चित्रकूट के क्लस्टर कसहाई की 06 ग्राम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पंचायतों में 56 गलियां जिसमें ग्राम पंचायत लोढवारा की तीन गलिया- (1) - हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली लम्बाई 145 मीटर (2) राम प्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड व नाली लम्बाई 375 मीटर, (3) राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली लम्बाई 120 मीटर के निर्माण कार्य मानक के विपरीत व निम्न कोटि का कराये जाने के संबंध में श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड-चित्रकूट द्वारा कोई भी निरीक्षण नोट न जारी किये जाने आदि अनियमितता हेतु प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाये गये है, जिसके लिए अपचारी अधिकारी को आरोपित किया जाता है ।

साक्ष्य :-

1- मुख्य अभियन्ता (पं0क्षे) लखनऊ के पत्रांक-633 दिनांक 13-08-2019 की प्रति ।

2- जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक- 502 दिनांक 22-08-2019 की प्रति ।

3- जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक- 503 दिनांक 22-08-2019 की प्रति ।

4- जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक- 504 दिनांक 22-08-2019 की प्रति ।

5- जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक- 391 व 392 दिनांक 26-07-2019 की प्रति ।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर :-

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रखण्ड चित्रकूट में उनका कार्यकाल दिनांक 27-11-2018 तक रहा तथा हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली लम्बाई 145 मीटर के विपरीत 138.50 मीटर लम्बाई में कार्य सम्पन्न हुआ तथा उनके कार्यकाल में भुगतान किया गया है । शेष 02 गलियों का कार्य उनके कार्यकाल में न तो संपादित कराया गया है और न ही इन दोनों गलियों का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया है ।

इस मार्ग का निरीक्षण एवं सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 25-09-2018 के क्रम में संयुक्त जांच समिति द्वारा किया गया तथा मुख्य विकास अधिकारी को यह आख्या दी गई कि "**ग्राम पंचायत लोढवारा में गली नं0 (01) हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण लम्बाई 145 मीटर, के सापेक्ष 138.00 मीटर लम्बाई में एवं 3.00 मीटर चौडाई में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य संतोषजनक एवं मानक के अनुरूप पाया गया । संकुचन जोडों को कटर द्वारा कुछ जगहों पर सही कराने की आवश्यकता है । मार्ग के दोनों तरफ मिटटी भराई का कार्य अवशेष है, ग्राम पंचायत लोढवारा की शेष 02 गलियों में (गली नं0-2 एवं 03) में निर्माण कार्य अनारम्भ है ।**"

उक्त सत्यापन के दौरान अपचारी अधिकारी कार्यस्थल पर उपस्थित रहा । सत्यापन आख्या अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 एवं सहायक अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड जनपद चित्रकूट द्वारा दी जानी थी । अतः उनके स्तर से निरीक्षण नोट जारी किये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कोई औचित्य नहीं पाया गया । उक्त के अतिरिक्त अपचारी अधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भी कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया था एवं जारी किये गये निरीक्षण नोट में कोई कमी दर्शित नहीं की गई । उनके कार्यकाल में निर्मित 01 मात्र गली का कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप था । उक्त के अतिरिक्त कार्यस्थल का निरीक्षण मुख्य अभियन्ता (पं0क्षे0) द्वारा दिनांक 05-08-2019 को किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के पृष्ठ संख्या-3 पर अभिलिखित किया गया कि कार्यस्थल पर निरीक्षण में गली जिसमें 138.50 मीटर लम्बाई में कार्य हुआ । कार्यस्थल पर सी0सी0 के दोनों तरफ बाक्सिंग तथा उस पर की गई पी0सी0सी0 कार्य क्षतिग्रस्त अवस्था में था, बाक्सिंग के ऊपर जो पी0सी0सी0 की गई है उनमें ग्रिट की मात्रा नगण्य है । सी0सी0 मार्ग की जांच में कार्यस्थल पर दृष्टि परीक्षण में पाया गया कि पूरे मार्ग में सी0सी0 की ऊपरी सतह से सीमेन्ट व कोर्स सैण्ड का मसाला नहीं पाया गया, जिसके कारण लगभग 90 प्रतिशत ग्रिट दृष्टिगोचर हो रही है । श्री बैजनाथ के घर के पास लगभग 45 कि0ग्रा0 सैम्पल लेने हेतु 1:1:53 सी0सी कटवाई गई । सी0सी0 को कटवाने में सी0सी0 की स्टेन्थ सामान्यतः संतोषजनक पायी गयी । सी0सी0 का सैम्पल लेने में लगभग 3 घण्टे का समय लगा, परन्तु सी0सी0 देखने में अत्यन्त poor Workman ship के अनुसार किया हुआ प्रतीत होता है । कतिपय उपस्थित ग्राम वासियों एवं अवर अभियन्ताओं ने यह भी अवगत कराया कि निकट ही बालू की खदान है बालू के खनन के डम्पर गीली बालू लेकर निकलते हैं, जिसके कारण पी0सी0सी0 की ऊपरी सतह क्षतिग्रस्त हो गयी है । मुख्य अभियन्ता, (पं0क्षे0) के उपरोक्त अभिकथन से स्पष्ट है कि अत्यधिक हैवी तथा रिपीटेड टैफिक मार्ग पर होने के कारण निर्माण कार्य लगभग 01 वर्ष पश्चात किये गये निरीक्षण में poor Workman ship पायी गयी है । उक्त poor Workman ship के कार्य को ठेकेदार द्वारा 4' मोटी पी0सी0सी0 की 1:1:53 की एक और लेयर बिना किसी अतिरिक्त व्यय के ठेकेदार द्वारा ठीक करा दिया गया है । कार्य का अन्तिम भुगतान नहीं हुआ है एवं कार्य डिफैक्ट लाईबिलीटी पीरियड के अन्तर्गत है । अतः अपचारी अधिकारी आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया ।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना/जांच आख्या :-</u>

अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के साथ लोक निर्माण विभाग की सत्यापन आख्या दिनांक 27-09-2018 की प्रति संलग्न करते हुए उल्लेख किया गया है कि " डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन योजना अन्तर्गत निर्मित मात्र एक गली हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक का निर्माण कार्य अपचारी अधिकारी के कार्यकाल में हुआ है एवं इसी मात्र एक गली का भुगतान उनके द्वारा किया गया है । शेष 02 गलियों का कार्य उनके कार्यकाल में न तो समपादित कराया गया है और न ही उनके द्वारा भुगतान किया गया है । बचाव उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है poor Workman ship के कार्य को ठेकेदार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

डिफैक्ट लाईबिलीटी पीरियड के अन्तर्गत बिना किसी अतिरिक्त लागत के 4 इंच मोटी सी0सी0 की लेयर पुनः डालकर ठीक करा दिया गया है ।

अपचारी कर्मचारी के बचाव उत्तर में इंगित स्थिति एवं आरोप के साक्ष्य इंगित स्थिति का परीक्षण करने पर पाया गया कि गली नं0-1 ग्राम पंचायत लोढवारा हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक कराये गये सी0सी0 कार्य का पूर्ण होने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 17-09-20182018 को सत्यापन करते हुए संतोषजनक एवं मानक के अनुरूप इंगित किया गया था । आरोप के साक्ष्य से परिलक्षित हुआ कि कार्य पूर्ण होने के लगभग 10 माह बाद दिनांक 11-07-2019 को समिति द्वारा जांच की गयी । दोनों ही जांच में सी0सी0 की ऊपरी सतह उखडने का उल्लेख है । मुख्य अभियन्ता की जांच आख्या में सी0सी0 से डम्पर पर गीली बालू लेकर निकलने के कारण ऊपरी सतह क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख किया गया, परन्तु 06 घण्टे तक डम्पर निकलता हुआ दिखायी न देने के कारण विश्वास करना औचित्यपूर्ण न होने का भी उल्लेख किया गया । जांच समिति द्वारा एवं मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी) द्वारा जांच बरसात के मौसम में किया गया, उस समय खदानों से बालू निकालने में प्रशासनिक रोक होती है । आरोप के साक्ष्य मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी) की जांच आख्या में इंगित स्टेन्थ संतोषजनक होने की टिप्पणी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 17-09-2018 को सत्यापन करते हुए कार्य संतोषजनक एवं मानक के अनुरूप होने की टिप्पणी के प्रकाश में ग्रामवासियों एवं उपस्थित अभियन्ताओं द्वारा बालू की खदान से डम्पर गीली बालू लेकर निकलने के कारण ऊपरी सतह क्षतिग्रस्त होने का कथन तर्कसंगत होना परिलक्षित हो रहा है ।

अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर में उल्लेख किया गया है कि 02 गलियों का कार्य उनके कार्यकाल में नहीं कराया गया तथा न ही भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष अपचारी अधिकारी ने प्रखण्ड चित्रकूट के कार्यकाल अवधि का कोई उल्लेख नहीं किया । लोक निर्माण विभाग की सत्यापन आख्या दिनांक 27-09-2018 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त तिथि तक गली नं0-2 राम प्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण तथा गली नं0-3 राम औतार के घर से बारे लाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ था । इसी प्रकरण में संलिप्त अभियन्तओं द्वारा बचाव उत्तर में इंगित स्थिति एवं संलग्न किये गये अभिलेखों का अवलोकन करने पर परिलक्षित हुआ कि अपचारी अधिकारी का जनपद चित्रकूट का कार्यकाल दिनांक 27-11-2018 तक रहा है । गली नं0-2 राम प्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण से संबंधित माप पुस्तिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस गली में कराये गये कार्य का मापांकन एवं मूल्यांकन दिनांक 06-10-2018 एवं 11-10-2018 को किया गया । गली नं0-3 राम औतार के घर से बारे लाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण संबंधित माप पुस्तिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस गली में कराये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्य का मापांकन एवं मूल्यांकन दिनांक 16, 17 एवं 20 अक्टूबर 2018 को किया गया है । इस प्रकार अभिलेखों से उक्त गलियों का कार्य लोक निर्माण विभाग की सत्यापन दिनांक 27-09-2018 के उपरान्त अपचारी अधिकारी के कार्यकाल दिनांक 27-11-2018 के मध्य कराये जाने की स्थिति पायी गयी, परन्तु भुगतान अपचारी अधिकारी के कार्यकाल के उपरान्त क्रमशः दिनांक 11-12-2018 एवं दिनांक 08-01-2019 को किये जाने की स्थिति पायी गयी । अतः उपरोक्तानुसार गली नं0-2 एवं 03 का भौतिक कार्य अपचारी अधिकारी के कार्यकाल में कराया गया तथा श्री दुबे द्वारा भ्रमण तो किया परन्तु निरीक्षण नोट जारी नहीं पाया गया ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपचारी अधिकारी पर यह आरोप आंशिक रूप से स्थापित होता है ।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन :-</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 01 निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी जनपद चित्रकूट के साथ किया गया था तथा दूसरा निरीक्षण दिनांक 17-09-2018 को मुख्य विकास अधिकारी जनपद चित्रकूट द्वारा गठित की गई सत्यापन समिति के साथ किया गया था । अतः इन दोनों निरीक्षणों में निरीक्षण टीप इस स्तर से जारी होने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। शेष निरीक्षणों के समय कार्यस्थल पर उपलब्ध site order book में निर्देश जारी किये गये हैं एवं उनका परिपालन कराया गया है ।

ठेकेदार द्वारा ग्राम लोढवारा की तीन गलियों में 1:1:53 में पी0सी0सी का कार्य पुनः करा दिया गया है क्योंकि कार्य Direct liability period के अन्तर्गत था । पी0सी0सी0 कार्य में गुणवत्ता तथा मानकों का पालन कराये जाने की पूरी जिम्मेदारी कार्य से संबंधित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की होती है । इस प्रकरण में अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को भी आरोपित किया गया एवं जांच आख्या में उन्हें दोषमुक्त पाया गया है । इसी प्रकार उनके उत्तराधिकारी श्री अख्तर अली अंसारी, जिन्होंने 02 गलियों का भुगतान किया है, उन्हें भी जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा एक मात्र गली " हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण लम्बाई 138.60 का ही भुगतान किया गया है । शेष 02 गलियों का भुगतान उनके उत्तराधिकार द्वारा नहीं किया गया है ।

4- अपचारी अधिकारी द्वारा अपने ऊपर अधिरोपित आरोप के स्थापित होने के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 22-01-2021 में किसी नवीन तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही किसी कथन के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत किया गया है ।

5- अतएव अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा (1) - हरी बढई के घर से भगवार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

माली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली लम्बाई 145 मीटर (2) राम प्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड व नाली लम्बाई 375 मीटर, (3) राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली लम्बाई 120 मीटर के निर्माण कार्य के संबंध में निरीक्षण नोट जारी नहीं किया गया है । अतएव जांच अधिकारी की जांच आख्या के अनुसार अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से आरोप स्थापित पाये जाने के जांच निष्कर्ष, जो गली नं0-2 व गली नं0-3 के संबंध में निरीक्षण नोट जारी नही किये जाने के आधार पर किया गया है, को स्वीकार किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा गली नं0-1 के निरीक्षण नोट जारी किये जाने के संबंध में जांच आख्या में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है, जबकि गली नं0-1 का निर्माण अपचारी अधिकारी के कार्यकाल में हुआ है एवं उसके द्वारा भुगतान भी किया गया है। **अतः अपचारी अधिकारी पर गली नं0-1, गली नं0-02 एवं गली नं0-03 का निरीक्षण नोट जारी नहीं किये जाने का आरोप पूर्ण रूप से स्थापित पाया गया।**

6- अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2043/92-2-2019-55एम/2019, दिनांक 06-09-2019 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- चित्रकूट के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा निम्नानुसार परिनिन्दा का दण्ड देते हुए समाप्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

> **"श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- चित्रकूट श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत सी0जी0एफ0 की धनराशि से जनपद चित्रकूट के क्लस्टर कसहाई की 06 ग्राम पंचायतों में 56 गलियां जिसमें ग्राम पंचायत लोढवारा की तीन गलिया- हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 145 मीटर), राम प्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 375 मीटर) एवं राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 120 मीटर) का निरीक्षण नोट जारी न किये जाने हेतु परिनिन्दित किया जाता है।"**

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 20 /2021/ 66प्र0स0 **(1)** /92-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रखण्ड- चित्रकूट सम्प्रति प्रखण्ड- सहारनपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।